संख्याः 1088/79-5-17-15(149)/10टी.सी.

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- अध्यक्ष, बेसिक शिक्षा परिषद एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
2- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 13 जून, 2017

विषयः उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का शैक्षिक सत्र 2017-18 में जनपद के अन्दर समायोजन/स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-शि0नि0बे0/5842/2017-18 दिनांक 19-5-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के जनपद के अन्दर समायोजन/स्थानान्तरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- गत वर्षों में अध्यापकों की वृहद संख्या में हुयी नियुक्ति के फलस्वरूप परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है परन्तु छात्र अध्यापक अनुपात में उनकी तैनाती न हो सकने के कारण जहॉ एक ओर बहुत से विद्यालयों में शिक्षकों की कमी परिलक्षित होती है वहीं कतिपय अन्य विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक संख्या में शिक्षक कार्यरत है। ऐसी स्थिति में विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता आधारित तैनाती नहीं हो सकी है। अतः यह अपरिहार्य हो गया है कि परिवर्तित छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में पदों का निर्धारण करते हुए अध्यापकों के समायोजन/स्थानान्तरण की कार्यवाही सम्पादित की जाय। समायोजन/स्थानान्तरण की प्रक्रिया इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की जानी है कि ऐसे शिक्षक जो विकलांगता, गम्भीर बीमारी आदि कठिनाईयों से ग्रसित हो उनकी तैनाती उनकी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए की जाय।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2017-18 में अध्यापकों का जनपद के भीतर समायोजन/स्थानान्तरण की निम्नवत प्रकिया निर्धारित की जाती है :-

(1)	**शैक्षिक सत्र-2017-18 में समायोजन एवं स्थानान्तरण हेतु समिति का गठन**	1- जिलाधिकारी -	अध्यक्ष
		2- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी -	सदस्य सचिव
		3- प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नामित एक सदस्य(संबंधित जनपद) -	सदस्य
		4- जनपद मुख्यालय पर कार्यरत खण्ड शिक्षा अधिकारी -	सदस्य
(2)	**प्रत्येक विद्यालय हेतु आवश्यक अध्यापक संख्या का निर्धारण-**	(1) सर्वप्रथम विद्यालयों में नये शैक्षिक सत्र 2017-18 में नवीनतम छात्र नामांकन संख्या प्राप्त कर प्रत्येक विद्यालय	

में आर0टी0ई0 एक्ट–2009 के निर्देशानुसार अध्यापकों के पदों का निर्धारण किया जायेगा। इस हेतु जनपदों से 30 अप्रैल 2017 की छात्र संख्या बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा प्राप्त की जायेगी तथा तदनुसार विद्यालयवार अध्यापको की संख्या निर्धारित की जायेगी।

(3) अध्यापकों का समायोजन

(2) उपरोक्त (1) विद्यालयों में अध्यापकों के पदों का निर्धारण होने के उपरान्त सर्वप्रथम अध्यापकों के समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।

(3) इसके अन्तर्गत ऐसे विद्यालयों, जहॉ मानक से अधिक अध्यापक कार्यरत है, उन्हें वहॉ से हटाकर मानक से कम शिक्षकों वाले विद्यालयों में पदस्थापित करने की कार्यवाही की जायेगी।

(4) समायोजन प्रकिया में Last in first out के सिद्धान्त पर सर्वप्रथम, विद्यालय में कार्यरत कनिष्ठतम अध्यापक को हटा कर उन्हें यथासंभव उसी विकास खण्ड के निकटस्थ विद्यालय में पदस्थापित किया जायेगा।

(5) विकलांग, असाध्य/गम्भीर बीमारी से ग्रसित, महिला शिक्षकों को समायोजन की प्रकिया में यथासंभव उनकी सुविधानुसार उसी विकास खण्ड में तैनाती दी जायेगी।

(6) जिस विद्यालय से 'सरप्लस' अध्यापक का समायोजन किया जाएगा, उस विद्यालय में किसी अध्यापक को स्थानान्तरित/तैनात नही किया जाएगा।

(7) समायोजन की सम्पूर्ण प्रकिया **15 जुलाई, 2017** तक पूरी कर ली जायेगी।

(4) अध्यापकों का स्थानान्तरण–

(1) जनपद के भीतर स्थानान्तरण हेतु प्रत्येक जनपद को निम्नलिखित जोन में विभाजित कर दिया जायेगा –

(क) जनपद के म्युनिसिपल सीमा अथवा जिला मुख्यालय से 08 किलोमीटर की दूरी जो अधिक हो	जोन 1
(ख) जनपद में तहसील मुख्यालय से 02 किलोमीटर तक	जोन 2
(ग) उपरोक्त से भिन्न –	जोन 3

(2) जनपद में समायोजन प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त ही स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी। इसके अन्तर्गत समायोजन के पश्चात विद्यालयों की अवशेष रिक्तियों का उपरोक्त जोन वार तथा विद्यालयवार प्रकाशन जनपद के एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर कराया जायेगा।

(3) तदुपरान्त स्थानान्तरण हेतु सभी अध्यापकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे, जिसकी अन्तिम तिथि 30 जून 2017 होगी।

(4) उपरोक्त आनलाइन प्रार्थना पत्रों के आधार पर स्थानान्तरण की कार्यवाही में प्रत्येक प्रार्थी को 05 रिक्त विद्यालयों का विकल्प देना होगा। साथ में यह भी विकल्प होगा कि यदि उन 05 विद्यालयों में उसका विकल्प प्राथमिकता में नहीं आता तो वह उस जोन के किसी भी रिक्त पद पर जाने का इच्छुक है अथवा नहीं।

(5)	स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले सभी अध्यापकों को सम्मुख स्केल पर आधारित गुणवत्ता अंक प्रदान किये जायेंगे	1– असाध्य / गम्भीर रोग से ग्रसित– 05 अंक 2– विकलांग– 05 अंक 3– महिला– 05 अंक 4–सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु – 01अंक(अधिकतम 35) *योग–* *कुल 50 अंक* नोटः– सर्वाधिक गुणवत्ता अंक के कम में विकल्प की उपलब्धता पर स्थानान्तरण से तैनाती की कार्यवाही की जायेगी। रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने पर स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

4– उक्त व्यवस्थानुसार जनपद के अन्दर स्थानान्तरण हेतु आवेदित अध्यापकों के गुणवत्ता अंक निर्धारित करते हुए उपर्युक्त 03 जोन के विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानान्तरण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। अध्यापकों को प्राप्त गुणवत्ता अंक के अनुसार वरीयता कम में आवेदित जोन में रिक्ति के सापेक्ष स्थानान्तरित किया जायेगा। स्थानान्तरण प्रकिया में यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्थानान्तरण के फलस्वरूप कोई विद्यालय एकल न हो, तथा किसी भी विद्यालय में अध्यापक–छात्र अनुपात 1:40 से अधिक तथा 1:20 से कम नहीं होगा।

5– जनपद में प्रशासनिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त प्रक्रिया का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न हो। किसी विद्यालय में अध्यापक–छात्र अनुपात के अनुसार निर्धारित अध्यापक संख्या का अतिकमण न हो। प्रशासनिक स्थानान्तरण की कार्यवाही मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के अनुमोदनोपरान्त ही की जायेगी तथा स्थानान्तरण के कारण को आदेश में अभिलिखित भी किया जायेगा।

6– अतएव उपर्युक्त निर्धारित व्यवस्था के अनुसार परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के समायोजन / जनपद के अन्दर स्थानान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3– समस्त प्राचार्य, डायट, उ0प्र0।
4– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
5– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6– समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।